न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/126

1. शोजी आयु 45 वर्ष आत्मज मोती जाति बैरवा निवासी ग्राम सरसोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. मोरपाल आयु 42 वर्ष आत्मज मोती जाति बैरवा निवासी ग्राम सरसोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. विजयबहादुर सिंह आत्मज मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी सरसोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भू दयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री भंवर लाल गुर्जर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 24.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सरसोद तहसील हिण्डोली में कुल 05 किता कुल रकबा 10 बीघा व खसरा नम्बर 651/325 रकबा 05 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी व उसके भाईयों जसराज सिंह, प्रहलाद सिंह बहिन सूरजबाई, भगवान बाई के नाम खाते में दर्ज है । उक्त भूमि में आने–जाने का एक रास्ता खसरा नम्बर 319 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा में होकर जाता है उक्त रास्ता करीब 12 फिट चौडा है जो ग्रेवल सडक से खसरा नम्बर 319 में होकर प्रार्थी के खेत में जाता है । खसरा नम्बर 319 सरकारी भूमि है एंव उक्त रास्ता प्रार्थी का कदीमी है जिसका उपयोग पीढियों से किया जा रहा है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं

है । प्रार्थी को अपनी कृषि भूमियों में आने – जाने हेतु रास्ते का अधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थी रास्ता घोषित करवाने के अधिकारी है । प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु तैयार है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 319 में होकर प्रार्थी की भूमि तक आने –जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.06.2018 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 319 रकबा 5.17 बीघा में से 0.10 बीघा भूमि का रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 319 पर गत 50 वर्षों से अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है उक्त भूमि पर उन्होंने कुआ बना रखा है । अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनके कब्जे की भूमि पर रेस्पोडेन्ट नया रास्ता बनाने पर आमादा हैं । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित पक्षकार है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06. 2018 निरस्त फरमाया जावे।

6. अपीलान्टगण ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 319 पर अपीलान्टगण का पिछले 50 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपीलान्टगण व्यथित है और वे उक्त प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है जिसकी अपीलान्टगण को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.03.2021 को पटवारी, कानूनगो व रेस्पोडेन्ट मौके पर रास्ता बनाने हेतु आने पर हुई जिस पर अपीलान्टगण ने नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट विजयबहादुर सिंह ने परीक्षण न्यायालय में धारा 251 (ए) के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 319 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा में 12 फिट चौडा रास्ता है जो प्रार्थी का कदीमी रास्ता है । इसको राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता घोषित

कर नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक है । प्रकरण में सरकार का जवाब लिये बिना नियम 69 की पालना किये बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना रास्ता कायम किया गया है । इस आराजी में अपीलान्ट ने कुआ बना रखा है । अपीलान्ट इस पर काबिज काश्त है । पहले यह आराजी अपीलान्ट को आवंटित हुई थी परन्तु अपीलान्ट के द्वारा राशि समय पर जमा नहीं की गई थी जिस कारण आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गई । परीक्षण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है जिस आराजी के लिए रास्ते की कार्यवाही की गई है उसके सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि वो भी आवश्यक पक्षकार थे । यदि रास्ता कदीमी है तो प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) के प्रावधानों में नहीं आता है । मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है जबकि धारा 251 (ए) के तहत आई0एल0आर0 के स्तर के नीचे से अधिकारी द्वारा रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती । अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय के निर्णय से प्रभावित पक्षकार है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

10. दौरोने बहस अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में विजयबहादुर सिंह ने सरकार के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश किया था और दोनों की पैरवी पैरोकार सरकार द्वारा की जा रही है जो उचित नहीं है ।

11. पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 सरकार व रेस्पोडेन्ट कम 01 दोनों के हित एक दूसरे के विपरीत नहीं है । अतः उन दोनों की पैरवी उनके द्वारा की जा रही है ।

12. रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अन्य सहखातेदारों ने कोई आपत्ति नहीं की है इस कारण अपीलान्ट को अन्य सहखातेदारों के बारे में आपत्ति करने का अधिकार नहीं है । अपीलान्ट एक अतिक्रमी है इस कारण उनको प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता । वादग्रस्त आराजी सिवायचक है ओर तहसीलदार हिण्डोली को रास्ता कायम करने में कोई आपत्ति नहीं है । तहसील से रिपोर्ट आने के उपरान्त परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रास्ता कायम किया है । रास्ता सार्वजनिक है जो सभी काश्तकारों के कायम आएगा । अपीलान्ट ने आवंटन निरस्त होने की कोई अपील पेश नहीं की है । यदि अपील पेश करते तो उसकी प्रति अवश्य पेश करते । परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2018 बहाल रखा जावे ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

14. परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 01 ने रेस्पोडेन्ट कम 02 के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) के तहत पेश किया है । प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 319 जो कि सरकारी सिवायचक भूमि है में एक कदीमी रास्ता अंकित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम नहीं होने से रास्ता घोषित करने की प्रार्थना की है । पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 के अनुसार कुल 05 किता की 10 बीघा आराजी जसराज सिंह, प्रहलाद सिंह, विजय बहादुर सिंह पुत्रियॉ सूरजबाई, भगवानबाई के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 651/325 रकबा 05 बीघा आराजी जसराज सिंह के खाते में दर्ज है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि यह आराजी जसराज सिंह के तन्हा खाते में दर्ज है जिसको पक्षकार नहीं बनाया गया है । नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति भी पेश की है और नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 जिसके अनुसार खसरा नम्बर 319 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा सरकार के खाते में दर्ज है । पत्रावली पर एक रिपोर्ट पटवारी हल्का की संलग्न है । रिपोर्ट में भूमि गैर खातेदारी में सिवायचक होने का अंकन किया गया है और भूमि पर मोरपाल, श्योजी अपीलान्टगण का कब्जा बताया गया है । रिपोर्ट में यह भी अंकित नहीं है कि प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है । इस प्रकार विधिक प्रावधानों के विपरीत परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित किया है । न तो सरकार की ओर से कोई जवाब पेश किया गया है और न ही खाता संख्या 85 के अन्य सहखातेदारों को और खाता संख्या 77 के तन्हा खातेदार को पक्षकार बनाया गया है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि विधिक प्रावधानों के अनुसार आई0एल0आर0 से नीचे स्तर के अधिकारी द्वारा रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती जबकि यह रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है । रिपोर्ट पक्षकारों की मौजूदगी में बनायी गई हो ऐसा भी रिपोर्ट में अंकित नहीं है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज होने योग्य है। चूँकि रिपोर्ट में अपीलान्टगण का कब्जा होना अंकित किया है और उनके गैर खातेदारी से आराजी सिवायचक दर्ज होने का अंकन किया गया है ऐसी स्थिति में उनको प्रभावित पक्षकार मानते हुए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । हम इस प्रकरण में सरकार एवं अपीलान्टगण से जवाब लिया जाकर विधिक प्रावधानों के अनुसार नये सिरे से निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण एवं सरकार से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर नये सिरे से विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 24.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/9/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा